(ख) तालाब से संबंधित मरम्मत के अंतर्गत निम्न कार्य लिये जावें :–

1. पूर्व निर्मित तालाब की मेढ़ की मिट्टी का क्षरण होने अथवा मेढ़ के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मेढ़ के मूल स्वरूप (कॉस सेक्शन) को पुनः बनाना।
2. पूर्व में निर्मित पिचिंग एवं वेस्टवियर की मरम्मत।
3. तालाब में पूर्व से निर्मित घाट की मरम्मत।
4. तालाब की गाद (सिल्ट) हटाने का कार्य/गहरीकरण।

* मेढ़ व भीतरी किनारे से 10, 20 एवं 30 मीटर छोड़ते हुये कमशः 0.5 मी0, 1.0 मी0 एवं अधिकतम भूमि सतह से नीचे 1.5 मी0 तक खुदाई की जा सकती है।

सामान्य निर्देश :–

1. किसी भी तालाब में सामान्यतः 5 वर्ष से पूर्व दोबारा कार्य न कराया जावे।
2. मिट्टी के तालाब निर्माण कार्यो का कियान्वयन बोधी (Buero of Design & Hydel Investigation) द्वारा जारी तकनीकी परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जावे।
3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व की स्थिति एवं पूर्णता पश्चात निर्माण कार्य (बंड के कॉस सेक्शन आदि) के फोटोग्राफ लिये जाकर, एक प्रति निर्माण कार्य की नस्ती में तथा एक प्रति पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ प्रशासकीय विभाग को प्रेषित की जावे।
4. तालाब गहरीकरण/मरम्मत के प्रकरणों में इसी तालाब में पूर्व के वर्षो में कराये गये कार्यो की जानकारी यथा– स्वीकृति वर्ष, योजना का नाम, कार्य की लागत, निर्माण ऐजेन्सी तथा कराये गये कार्य का विवरण एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की निरीक्षण टीप, दिनॉक सहित हस्ताक्षर के, रखी जावे।

(वसीम अख्तर)
सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0कमॉक 6708 /505/तक/ग्रायांसे/2005 भोपाल दिनॉक 8 /12/05

प्रतिलिपि ::

1. विकास आयुक्त, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त (समस्त) म0प्र0।
3. कलेक्टर (समस्त) म0प्र0।

सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(351)

(47)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क0 7096 /22/वि--19/ग्रारो/2005 भोपाल दिनॉक 31/12/05

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
झाबुआ, मण्डला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खरगोन, श्योपुर, धार, खण्डवा, सतना, सिवनी, एवं डिण्डोरी
मध्यप्रदेश

विषय :— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यो के विभागीय शेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार करने के संबंध में ।

सदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क0 17694/22/वि–7/ग्रारो/05 भोपाल दिनॉक 22/12/05

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्ति एक माह के लिये की जाकर सूची उपलब्ध कराई गई थी। कार्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुये परामर्शदाताओं की नियुक्ति अवधि आगामी आदेश तक बढ़ाई जाती है।

जिले के लिये नियुक्त परामर्शदाता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सड़कों का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त शेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी परामर्शदाता को उपलब्ध कराया जाना है। प्रपत्र का प्रारूप एवं 1 किमी0 सड़क का मानक प्राक्कलन संलग्न प्रेषित है। कृपया जिले में पदस्थ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को उक्त प्रपत्र एवं मानक प्राक्कलन की प्रति उपलब्ध कराते हुये निर्देशित किया जावे कि वे मानक प्राक्कलन के आधार पर प्रपत्र में जानकारी तैयार कर, शीघ्र परामर्शदाता (कंसलटेंट) को उपलब्ध करावे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार,

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(ख) तालाब से संबंधित मरम्मत के अंतर्गत निम्न कार्य लिये जावें :–

1. पूर्व निर्मित तालाब की मेढ़ की मिट्टी का क्षरण होने अथवा मेढ़ के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मेढ़ के मूल स्वरूप (कॉस सेक्शन) को पुनः बनाना।
2. पूर्व में निर्मित पिचिंग एवं वेस्टवियर की मरम्मत।
3. तालाब में पूर्व से निर्मित घाट की मरम्मत।
4. तालाब की गाद (सिल्ट) हटाने का कार्य/गहरीकरण।

* मेढ़ के भीतरी किनारे से 10, 20 एवं 30 मीटर छोड़ते हुये कमशः 0.5 मी0, 1.0 मी0 एवं अधिकतम भूमि सतह से नीचे 1.5 मी0 तक खुदाई की जा सकती है।

सामान्य निर्देश :–

1. किसी भी तालाब में सामान्यतः 5 वर्ष से पूर्व दोबारा कार्य न कराया जावे।
2. मिट्टी के तालाब निर्माण कार्यो का कियान्वयन बोधी (Buero of Design & Hydel Investigation) द्वारा जारी तकनीकी परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जावे।
3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व की स्थिति एवं पूर्णता पश्चात निर्माण कार्य (बंड के कॉस सेक्शन आदि) के फोटोग्राफ लिये जाकर, एक प्रति निर्माण कार्य की नस्ती में तथा एक प्रति पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ प्रशासकीय विभाग को प्रेषित की जावे।
4. तालाब गहरीकरण/मरम्मत के प्रकरणों में इसी तालाब में पूर्व के वर्षो में कराये गये कार्यो की जानकारी यथा– स्वीकृति वर्ष, योजना का नाम, कार्य की लागत, निर्माण ऐजेन्सी तथा कराये गये कार्य का विवरण एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की निरीक्षण टीप, दिनॉक सहित हस्ताक्षर के, रखी जावे।

(वसीम अख्तर)
सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0कमॉक 6708 /505/तक/ग्रायांसे/2005 भोपाल दिनॉक 8 /12/05

प्रतिलिपि ::

1. विकास आयुक्त, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त (समस्त) म0प्र0।
3. कलेक्टर (समस्त) म0प्र0।

सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
प्रथम स्तरीय प्राक्कलन जी.एस.बी. मार्ग निर्माण
(रोल्फ ऑफ प्रोजेक्ट)
लम्बाई 1 किमी., फार्मेशन चौड़ाई 7.50 मीटर

(लागत रू. 7.63 लाख)

क्र0	दर अनुसूची आयटम क्र0	विवरण	मात्रा	यूनिट	दर अनुसूची 1/9/03	
					दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	107	सामान्य जंगल सफाई	12000.00	Sq.m	0.40	4800
2	317 (क)	दाग बेलिंग	3000.00	Rm	0.10	300
3	303 (ख)	मिट्टी की खुदाई	6217.50	Cu.m.		
		जोड़िये 5% अतिरिक्त कर इम्पुवमेंट एवं सुपर एलिवेशन हेतु	310.87			
		योग	6528.37	Cu.m.	28.30	184752.87
4		मिट्टी की कुटाई (रोलिंग एवं पानी का छिड़काव)	6528.37	Cu.m.	14.85	96946.29
5		मिट्टी की ढुलाई 3 किमी. 50 %	3264.18	Cu.m.	44.91	146594.32
6	1803 + 1817(क)	जी.एस.बी. एकत्रीकरण (चट्टे सहित)	607.50	Cu.m.		
		जोड़िये 5 % अतिरिक्त	30.37	Cu.m.		
		योग	637.87	Cu.m.	42.90	27364.62
7	1902(ड)+1904(ड)	जी.एस.बी.ढुलाई 3 किमी. से	638.87	Cu.m.	44.91	28691.65
8	1901(क)	पानी की ढुलाई जी.एस.बी. कार्य हेतु 2 किमी.	637.87	Cu.m.	8.80	5613.26
9	2003	जी.एस.बी. फैलाना	637.87	Cu.m.	14.80	9440.48
10	2008(क)	जी.एस.बी. कन्सॉलीडेशन	4050.00	Sq.m	5.70	23085.00
11		जोड़िये किमी. स्टोन एवं 0.2 किमी. स्टोन हेतु लगाने सहित				1000.00
12		जोड़िये साईन बोर्ड हेतु				1000.00
13		जोड़िये डी.पी.आर. तैयार करने हेतु				5000.00
14		जोड़िये अतिरिक्त टर्न अप हेतु मार्ग के अंत में				10000.00
14		जोड़िये अतिरिक्त बस स्टाप हेतु				200000.00
15		जोड़िये पुल-पुलिया हेतु 2 पुलिया प्रति किमी. (1000 एम.एम. व्यास की)				744588.50
		योग				18465.59
		जोड़िये 3.5% वर्क चार्ज एवं कंटेंजेंसी हेतु				763054.09
		महायोग				

नोट :- (1) टर्नअप का प्रावधान वहीं किया जावे, जहाँ ग्राम में मार्ग समाप्त होता हो तथा आगे सड़क की निरंतरता समाप्त हो गई हो एवं बस स्टाप का प्रावधान आवश्यकतानुसार ही किया जावे।

(2) मानक प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में दि0 1/9/03 से प्रभावशील दर अनुसूची के आधार पर तैयार किया गया है।

GSB Road

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट) संक्षेप निर्देश

(स्टेट लेवल कन्सलटेंट द्वारा मार्गदर्शन)

रोड कनेक्टीविटी

1. सेल्फ प्रोजेक्ट हेतु योजना ग्राम पंचायत स्तर पर बनाना है।
2. ग्राम पंचायत यूनिट है। ग्राम पंचायतों को मुरमीकृत मार्ग से जोड़ने हेतु रोज योजना में मार्ग कार्य प्रस्तावित है।
3. मार्ग निर्माण का संक्षेप विशिष्टीकरण निम्न है :–
   - अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी का सबग्रेड की मोटाई 600 मिमी. एवं ग्राउड लेवल पर चौड़ाई 10500 मिमी. होगी।
   - मिट्टी सबग्रेड के ऊपर 150 मिमी. मोटाई एवं 4050 मिमी. चौड़ाई में अच की जी.एसबी. (गुरूम/बजरी आदि) रहेगी।
   - मार्ग की चौड़ाई 7500 मिमी. (फारमेशन विडथ) होगी।
   - सड़क के दोनों ओर नाली का प्रावधान होगा।
   - प्रति किमी. 2 नग 1000 मिमी. व्यास के हयूम पाईप कलवर्ट का प्रावधान प्रस्तावित होगा।
   - मार्ग के सुपर एलीवेशन एवं कर्व इम्प्रूवमेंट हेतु मिट्टी एवं मुरूम में 5 % अ का प्रावधान किया जावेगा।
   - यदि सड़क ग्राम तक आकर समाप्त होती है तो टर्नअप का प्रावधान होगा।
   - किमी./हेक्टोमीटर स्टोन एवं गार्ड स्टोन, का प्रावधान प्रस्तावित होगा।
   - पारदर्शिता हेतु बोर्ड लगाने का प्रावधान हो।
4. मार्ग निर्माण की लागत का 40 % मटेरियल एवं 60 % मजदूरी का हिस्सा होगा।
5. मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम एवं मार्ग के दोनों ओर 5 किमी. अर्द्धव्यास में आने वाले ला... ग्रामों एवं जनसंख्या की जानकारी दी जावेगी।
6. मार्ग की पूर्ण जानकारी 13 कॉलम के प्रपत्र में कार्य ऐजेंसीवार (लो0नि0वि0/ग्रा0य... भरना है एवं प्रस्ताव को जनपद पंचायत से अनुमोदन कराकर जिले की कार्यय... सम्मिलित किया जावेगा।
7. ग्राम पंचायत स्तर पर मार्ग की प्राथमिकता जनसंख्या के आधार पर निर्धारित क... अर्थात 1000+, 500+, 250+ आदि अनुसार प्राथमिकता रहेगी, जो कार्य किसी भी यो... कार्यान्वित किये जा रहे है या स्वीकृत हो चुके हो को योजना में सम्मिलित नहीं कर...
8. कुछ ग्राम पंचायत वन क्षेत्र में आती है। ऐसे कार्यो को वन विभाग द्वारा प्रस्तावित जावेंगे एवं वन विभाग से प्रस्ताव मंगाये जाकर कार्ययोजना में प्रस्तावित किया जावे।
9. जिले के नक्शे में जनसंख्यानुसार अलग–अलग रंग में ग्राम पंचायत चिन्हित कर दर्शा प्रस्तावित मार्ग लाल रंग से दर्शाये।

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 391/22/वि–10/ग्रा.रो./06

भोपाल,दिनांक 17/1/06

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारन्टी योजना के तहत निर्माण कार्यों के चयन बाबत ।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 13.1.06 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा की गई सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा में आपके द्वारा रखे गए प्रस्ताव कि लोक निर्माण विभाग बहुत सी सड़कें इस योजना के तहत ग्रेवल रोड के रूप में बनाने जा रहा है, जिसके लिए धनराशि इस योजना के तहत उपलब्ध हो सकती है। अतः लेख है कि इस संबंध में 18 जिलों में, जहां पर यह योजना लागू है, वहां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा तैयार किये गये पर्सपेक्टिव प्लान एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में, आपके द्वारा इस तरह की चयनित ग्रेवल रोड को ग्राम संपर्कता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, समायोजित कराए जाने के लिए भिजवाने का कष्ट करें तथा जिला स्तर पदस्थ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे इन कार्यों को जिले के पर्सपेक्टिव प्लान एवं सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में जुड़वाए तथा उनके प्राक्कलन तैयार कर उनकी तकनीकी स्वीकृति प्रदाय कर, परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए तैयार रखें।

परियोजना तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाए कि जो सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भारत निर्माण योजना में दिये गये लक्ष्यों के तहत आने वाली हैं उनके अलावा जो सड़कें हैं उन्हें ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत लिया जाए।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय

रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु प्रस्तावित सड़क कार्यों की कार्ययोजना

विकासखंड .... जिला .... (म0प्र0)

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	सड़क का नाम	लंबाई कि0मी0	सड़क पर संभावित पुलियों की संख्या	प्रवेश सड़क की कुल अनुमानित लागत मय पुलिया (राशि लाख रू. में)	प्रस्तावित सड़क से जुड़ने वाले ग्राम (5 किमी. अर्द्धव्यास के क्षेत्र में) जहाँ के ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा			किस वर्तमान मार्ग से जुड़ेगा	सड़क की अनुमानित लागत में श्रमिक अंश (रू. लाख में)	संभावित मानव दिवस सृजन (संख्या)	विशेष विवरण
						नाम	जनसंख्या	मजदूरों की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

R.G.Yo.(profarma)

(५६)

विकास आयुक्त कार्यालय,
मध्यप्रदेश

क्रमांक 1755 /22/वि–10/ग्रायांसे/06 भोपाल दि. 23/3/06

प्रति,

कार्यपालन अधिकारी,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बडवानी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खरगौन, श्योपुर, धार, खण्डवा, सतना, सिवनी, डिण्डोरी (मध्यप्रदेश)

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों के ले–आऊट के संबंध में ।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में एक निश्चित अवधि में मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित किया जाना है । अतः समस्त उपयंत्रियों को निर्देशित करें कि इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का तत्काल ले–आऊट दिया जाना सुनिश्चित करें । यदि कार्य प्रारंभ करने में ले–आऊट के कारण कहीं कोई विलम्ब पाया गया तो यह सीधे उपयंत्री की जवाबदारी मानी जाएगी ।

सभी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी तथा उपयंत्रियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित करें तथा उपरोक्त कार्यवाही समयावधि में सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दें । यह भी ध्यान रखें कि यह एक निरन्तर प्रकिया है, अतः इस योजना के तहत कार्य स्वीकृत होते ही, उसके लिए ले–आऊट तत्काल दिया जाए ।

23/3

(एम.के.गुप्ता)
मुख्य अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
विकास आयुक्त कार्यालय,
भोपाल

(36)

50

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल दिनॉक 24/02/06

कर्मांक/ 1140 /22/वि–0/ग्रायांसे/06

प्रति,

1 कलेक्टर(समस्त), म0प्र0

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, म0प्र0

3 अधीक्षण यंत्री(समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0

4 कार्यपालन यंत्री(समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0

विषय :– म0प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम संपर्कता (रोड कनेक्टिविटी) के कार्यों के संबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क0 7096/22/वि–10/ग्रारो/2005 भोपाल दि0 31/12/05

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा 1 किमी. ग्रेवल सड़क निर्माण का मानक प्राक्कलन एवं मापदण्ड प्रेषित किये गये थे, जिसमें मार्ग की कैरिज वे की चौड़ाई 3.75 मी0 के आधार पर फार्मेशन विड्थ 7.5 मी0 रखी गई है। कार्यालयीन पत्र क0 6844/वि–12/ग्रास/05 भोपाल दि0 22/9/05 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये 3 मी0 चौड़ा कैरिज वे तथा 6 मी0 टॉप विड्थ रखे जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त तारतम्य में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि 500 से कम आबादी के ग्रामों में जगह की कमी को देखते हुये ग्रेवल सड़क के निर्माण की मिट्टी के स्तर पर तथा जीएसबी के स्तर पर चौड़ाई इस तरह रखा जावे कि डामरीकरण होने पर कैरिज वे 3 मी0 तथा टाप विड्थ 6 मी0 का बन सके। अर्थात जी.एस.बी. स्तर पर कैरिज वे 3.30 मी0 तथा कुल चौड़ाई जी.एस.बी. स्तर पर 6.60 मी0 रखी जावे। सड़क निर्माण के अन्य मापदण्ड संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही रहेंगे।

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

(५८)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 1915/22/वि–3/ग्रायांसे/07/06 भोपाल दिनांक 29/03/06

प्रति,

(1) कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जिला पंचायत,
म.प्र.

विषयः मेट के कार्य एवं दायित्व स्पष्ट करने बाबत्।

वर्तमान में विभिन्न निर्माण कार्यों की निगरानी एवं मस्टर रोल संधारण हेतु कार्य स्थल पर नियोजित 25 से 50 मजदूरों की संख्या पर एक मेट लगाये जाते रहे हैं। इन मेटों के द्वारा वर्तमान में मस्टर रोलों का संधारण कार्यस्थल पर किया जाता है। पारदर्शिता के संदर्भ में प्रसारित निर्देशों अनुसार पंचायत राज संस्थाओं को मस्टर रोल की एक प्रति उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं, किन्तु देखने में आया है कि समयावधि में मस्टर रोल की प्रति ग्राम पंचायतों व जनपद पंचायतों को नहीं पहुँच पा रही हैं। अतः कार्यस्थल पर नियोजित मेट का दायित्व निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः–

1. प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होने के समय समस्त मजदूरों की हाजरी लेगा एवं मस्टर रोल की सुरक्षा के लिये वह पूर्ण रूपेण जिम्मेदार होगा तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता को मस्टर रोल की पारदर्शिता के लिये उपलब्ध करायेगा।
2. कार्यस्थल पर नियोजित मेट का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि मस्टर रोल की एक प्रति, प्रति सप्ताह भुगतान के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को तत्काल उपलब्ध करायेगा।
3. मस्टर रोल पर किये गये कार्य की माप लेने तथा प्रोग्रेस अंकित करने में भी सहयोग देगा।
4. कार्य के लिये आवश्यक निर्माण सामग्री की व्यवस्था में क्रियान्वयन ऐजेंसी को सहयोग करेगा।
5. कुछ जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू है, उन जिलों में नियोजित मेट मस्टर रोल में मजदूरों के विवरण एवं जाबकार्ड की प्रविष्टि करते समय जॉबकार्ड में भी समस्त प्रविष्टियॉं किया जाना सुनिश्चित करेगा।
6. एक परिवार के 100 दिवस की मजदूरी की पात्रता पूर्ण होने पर जॉबकार्ड में लाल स्याही से लाइन खींचकर, क्रियान्वयन ऐजेन्सी के अधिकारी के हस्ताक्षर करायेगा।

(3??)

भोपाल दि. 23/3/06

पृ0क0. 1756/22/वि–10/ग्रायांसे/06

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0
3. कलेक्टर, झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बडवानी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खरगौन, श्योपुर, धार, खण्डवा, सतना, सिवनी, डिण्डोरी (मध्यप्रदेश)
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बडवानी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खरगौन, श्योपुर ,धार, खण्डवा ,सतना, सिवनी, डिण्डोरी (मध्यप्रदेश)
5. एन.आर.ई.जी.पी. शाखा विकास आयुक्त कार्यालय की आरे सूचनार्थ।

23/3

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
विकास आयुक्त कार्यालय,
भोपाल

353

(363) 5-6

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कमॉक 9361 / 204 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 06 भोपाल दिनॉक 21 / 04 / 06

प्रति,

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी(समस्त), जिला पंचायत, म0प्र0

(2) कार्यपालन यंत्री(समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0

विषय :— प्राक्कलन हिन्दी में तैयार करने बावत्, सामग्री, कुशल श्रम एवं अकुशल श्रम पर होने वाले व्यय को पृथक–पृथक दर्शाए जाने बावत्।

--00--

इस कार्यालय के ज्ञापन क0 560 / 412 / 22 / वि–10 दि0 25 / 11 / 2000 द्वारा पूर्व में ही आपको समस्त निर्माण कार्यो के प्राक्कलन हिन्दी में तैयार करवाये जाने तथा माप पुस्तिका में भी प्रविष्टि हिन्दी में ही किये जाने के निर्देश आपको दिये जा चुके हैं।

जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि अभी भी कुछ जिलों में प्राक्कलन एवं मूल्यांकन का कार्य हिन्दी भाषा में नहीं किया जा रहा है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि हिन्दी में ही प्राक्कलन तैयार किये जावे तथा कार्य में उपयोग मे आने वाली सामग्री, कुशल, अर्द्धकुशल श्रम एवं अकुशल श्रम पर होने वाले व्यय को प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के आदेश में निम्नानुसार दर्शाया जावे :—

क0	कार्य का नाम स्थान / वि0खं0	तकनीकी स्वीकृति		अकुशल श्रम पर व्यय		कुशल, अर्द्धकुशल एवं निर्माण सामग्री पर व्यय	
		कमॉक	राशि	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क0 9362 / 204 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 06 भोपाल दिनॉक 21 / 04 / 06

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त (समस्त), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधीक्षण यंत्री (समस्त) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कलेक्टर (समस्त), म0प्र0 की ओर सूचनार्थ। कृपया अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

7. मेट के लिये अलग से कोई भुगतान व्यवस्था नहीं होगी। मस्टर रोल पर लगाये गये मजदूरों के नाम के साथ ही मेट भी मस्टर रोल पर लगाया जायेगा तथा उक्त दर्शित कार्य के अलावा शेष समय मजदूरों की तरह ही कार्य करेगा तथा कुल लगाये गये मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति के अनुरूप ही मेट तथा मजदूरों को भुगतान होगा।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क्रमॉक 1916/22/वि–3/ग्रायांसे/07/06 भोपाल दिनॉक 29/03/06
प्रतिलिपि ::

1. समस्त आयुक्त, म0प्र0।
2. आयुक्त, पंचायत, म0प्र0।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0।

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

C:\Documents and Settings\New User\My Documents\D-10\SHIV\Muster Role\Master Role Letters.doc

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

भोपाल

क्र./4787/22/वि–7/NREGS/06 भोपाल, दिनांक 28/03/2006

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जिला पंचायत– बालाघाट, बड़वानी,
बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा,
खरगौन, शिवपुरी, श्योपुर, शहडोल,
सीधी, मंडला, टीकमगढ़, उमरिया,
डिण्डौरी, सतना एवं सिवनी

विषयः– मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेन के संबंध में ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के शैड्यूलू 1 के विन्दु कंमाक 15 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी व ग्राम पंचायतो द्वारा प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन तैयार कियाजाएगा जिसमे कि योजना के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यो, आंकड़ो व उपलब्धियों का समावेश रहेगा तथा वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति न्यूनतम दर पर आम जनता द्वारा मांग करने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

अतः वर्ष 2005–06 हेतु योजना से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन समयावधि मे तैयार कर लिया जाए तथा प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को 10 अप्रैल तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।

(प्रदीप भार्गव) 27 306
सदस्य सचिव
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् एवं
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./4788/22/वि–7/NREGS/06 भोपाल, दिनांक 28/03/2006

प्रतिलिपिः–

संभागीय आयुक्त, समस्त मध्यप्रदेश शासन

(प्रदीप भार्गव)
सदस्य सचिव
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् एवं
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

NREG-ps

96

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 1813 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 10/2/2006

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जिला पंचायत – झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिंडोरी, मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सफलता की कहानियां भेजने के संबंध में।

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आपके जिले में प्रारंभ हो चुकी है। योजनांतर्गत पर्सपेक्टिव प्लान, प्रचार–प्रसार, ग्राम सभा का आयोजन, मजदूरों का पंजीयन व जॉब कार्ड का वितरण आदि कार्य आपके द्वारा किये गये है। भारत सरकार द्वारा योजना से संबंधित सफलता की कहानियां या जिलें में योजना के कियान्वयन में आपके द्वारा किये गये किसी भी अभिनव प्रयोग की जानकारी चाही है। अतः सफलता की कहानिया व अभिनव प्रयोग की जानकारी एक सप्ताह के अंदर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

8.2.06

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 1814 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 10/2/2006

प्रतिलिपि–

संभागायुक्त ...., म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Letter-PS-Bhargava

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल

क्र. 4898 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 29/3/2006

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जिला पंचायत – झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत संक्रमण काल से संबंधित मुद्दे (Transitional Issues)

संदर्भः संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्र. व्ही–24011/46/2005-NFFWP/NREG दिनांक 20/3/2006

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के उक्त संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन करें। पत्र में निम्नानुसार प्रमुख निर्देश दिये गये है, इसके अनुसार तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत प्रारंभ किये गये कार्य जो कि इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं हो पायेंगे, वो किसी भी स्थिति में 30/6/06 के पूर्व पूर्ण हो जाने चाहिये।

2. खाद्यान्न उठाव की अवधि में बढ़ोत्तरी के लिये भविष्य में कोई अनुमति नहीं दी जायेगी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत आबंटित/उठाव किये गये खाद्यान्न को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में स्कंध शेष रहने तक किया जायेगा तथा इस खाद्यान्न को 30/6/06 के पूर्व उपयोग करने के पूर्ण प्रयास किये जाये। खाद्यान्न का भी पृथक से आडिट करते हुये मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक आडिट रिपोर्ट मे संलग्न किया जावे।

3. सभी पंजीयत परिवारों को दिनांक 31/3/06 तक जॉब कार्ड वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जावे। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले

स्वर्ण जयंती वर्ष
2005 - 2006

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

F-36

क्र. 4072 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 17/3/2006

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जिला पंचायत – झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उपयोग बावत्।

संदर्भः संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध शा0 पत्र क्र. (NREGA)/06/2 दिनांक 23.02.06

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा निर्देश प्राप्त हुये है कि चूँकि मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भूमि सुधार, जल ग्रहण मिशन, उद्यानिकी, ग्रामीण अधोसंरचना एवं भूमि विकास के कार्यो को प्राथमिकता से लिया जाना है, अतः इस हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सेवाओं का उपयोग किया जावे। उक्त कार्यो में नाबार्ड की कार्यकुशलता के दृष्टिगत जिला स्तर पर उन्हें तकनीकी संसाधन समूह के रूप में उपयोग किया जा सकता है जो कि भारत शासन के दिशा निर्देश के अध्याय–12 में भी उल्लेखित है।

अतः कृपया योजना के कियान्वयन में नाबार्ड की सेवाओं का उपयोग किया जावे।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भार्गव, आई.ए.एस.
ख सचिव

(369)

मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल – 462004 (म.प्र.)
0755– 2551114 (का)
0755– 2441348 (का)
0755– 2442367 (फै)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.5047/पंचा. एवं ग्रा./2006

दिनांक 31/3/06

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

3. जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत डी.पी.आई.पी. योजना का क्रियान्वयन।

डीपीआईपी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना है। जनसहभागिता, समान आवश्यकता, समान आर्थिक आधार एवं समानता के आधार पर बने समक्षित समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुंच कर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाना, परियोजना का उद्देश्य है।

म.प्र. के चयनित 14 जिलों – सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, नरसिंहपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन एवं विदिशा के कुल 53 विकासखंडों के 2905 ग्रामों में यह योजना क्रियान्वित की गई है। इनमें से 4 जिलें छतरपुर, सीधी, शिवपुरी एवं टीकमगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी सम्मिलित हैं।

डी.पी.आई.पी. परियोजना में हर जिले में 20 से 25 गांव का एक क्लास्टर निर्मित किया गया है, जिसमें कि 4 सदस्यों का सहयोग दल (पीएफटी) कार्यरत हैं जोकि यांत्रिकीय, कृषि, वेटनरी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में दक्ष हैं। इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य समन्वयक, सहयोग दल के रूप में कार्यरत है।

म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लिये जाने वाले कार्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके द्वारा धारित निजी भूमि पर भूमि सुधार एवं सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। इसके साथ–साथ जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्य भी किये जाना है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डी.पी.आई.पी. परियोजना अंतर्गत लक्षित परिवारों को निम्नानुसार लाभ देना सुनिश्चित किया जावें।

अनाज योजना के जो कार्य 31 मार्च के बाद अपूर्ण रहते है, उनमें गैर पंजीकृत मजदूरों को लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत 1/4/06 के अंतर्गत शेष रहा आबंटन मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के खाते में हस्तांतरित हो जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध राशि/खाद्यान्न भी मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत माना जायेगा तथा इन्हे मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की दिशा–निर्देशों के अनुसार ही पूर्ण कराया जायेगा।

5. भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 4899 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 29/3/2006

प्रतिलिपि–

1. संभागायुक्त ....., म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, भोपाल।
3. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारताल, जबलपुर ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....., जिला ..... म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

... भार्गव, आई.ए.एस.
...ख सचिव

(369)

मंत्रालय, वल्लभ भव...
भोपाल – 462004 (म....
0755– 2551114 (व...
0755– 2441348 (व...
0755– 2442367 (...

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.501/7/पंचा. एवं ग्रा./2006

दिनांक 31/3/06

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

3. जिला परियोजना प्रबंधक
डीपीआईपी,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला : छतरपुर/सीधी/शिवपुरी/टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत डी.पी.आई.पी. योजना का क्रियान्वयन।

डीपीआईपी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना है। जनसहभागिता, समान आवश्यकता, समान आर्थिक आधार एवं समानता के आधार पर बने समहित समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुंच कर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाना, परियोजना का उद्देश्य है।

म.प्र. के चयनित 14 जिलों – सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, नरसिंहपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन एवं विदिशा के कुल 53 विकासखंडों के 2905 ग्रामों में यह योजना क्रियान्वित की गई है। इनमें से 4 जिलें छतरपुर, सीधी, शिवपुरी एवं टीकमगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी सम्मिलित हैं।

डी.पी.आई.पी. परियोजना में हर जिले में 20 से 25 गांव का एक क्लस्टर निर्मित किया गया है, जिसमें कि 4 सदस्यों का सहयोग दल (पीएफटी) कार्यरत हैं जोकि यान्त्रिकीय, कृषि, वेटनरी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में दक्ष हैं। इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य समन्वयक, सहयोग दल के रूप में कार्यरत हैं।

म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लिये जाने वाले कार्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके द्वारा धारित निजी भूमि पर भूमि सुधार एवं सिंचाई सुविधाऐं उपलब्ध कराना है। इसके साथ–साथ जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्य भी किये जाना है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डी.पी.आई.पी. परियोजना अंतर्गत लक्षित परिवारों को निम्नानुसार लाभ देना सुनिश्चित किया जावें।

.प्रदीप भार्गव, आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

370

मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल – 462004 (म.प्र.)
0755– 2551114 (का)
0755– 2441348 (का)
0755– 2442367 (फै)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. डी.पी.आई.पी. परियोजना अंतर्गत सहयोग दलों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल्य ऐसे समूहों को चिन्हित किया जावेगा, जिनकी स्वयं की भूमि पर सिंचाई सुविधाओं/भूमि सुधार की आवश्यकता है।
2. सहयोग दलों द्वारा ग्रामों में ऐसे कार्यो को चिन्हित किया जायेगा जो ग्राम में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक है।
3. निजी भूमि सिंचाई सुविधाओं के कार्य संबंधित समूह द्वारा संपादित किये जावेंगे, तथा ग्राम के जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य परियोजना में पंजीकृत जेड़ श्रेणी के समूह द्वारा संपादित किये जावेंगे।
4. उपरोक्त दोनों तरह के कार्यो हेतु सहयोग दल द्वारा उपयोजना प्रस्ताव, म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मापदडों अनुसार तैयार किया जावेगा।
5. आवश्यकतानुसार उपरोक्त दोनों श्रेणियों के कार्यो के लिए नये समहित समूह गठित किये जा सकते हैं।
6. सहयोग दलों द्वारा उपयोजना प्रस्ताव संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी)/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पास स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जावेगे। यदि उक्त कार्य ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं हैं तो भी उन्हें सम्मिलित कर स्वीकृति दी जावेगी।
7. कार्य हेतु स्वीकृत राशि जनपद पंचायत/जिला पंचायत द्वारा समूह के खाते में हस्तांतरित की जावेगी।
8. सहयोग दल में पदस्थ सिविल इंजीनियर, कार्य का प्राक्कलन तैयार करने, लेआउट देने, तकनीकी मार्गदर्शन देकर निर्धारित गुणवत्ता अनुसार कार्य करवाने तथा मूल्यांकन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने एवं अन्य कार्य हेतु अधिकृत होगें।
9. समहित समूह द्वारा कार्य का क्रियान्वयन करवाया जावेगा, एवं संबंधित अभिलेखों/लेखों का संधारण किया जावेगा।
10. क्रियान्वित किये जा रहे कार्यो में गुणवत्ता आंकलन एवं अभिलेख संधारण की जवाबदारी समन्वयक सहयोग दल डी.पी.आई.पी. की होगी।
11. समहित समूह द्वारा चार्टर्ट एकाउटेंट से अंकेक्षण करवाया जावेगा।
12. कार्य समाप्त पश्चांत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आडिट रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जावेगी।

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत द्वारा तैयार किये गये शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के कार्य प्राथमिकता के आधार पर ऊपर वर्णित प्रक्रिया अनुसार समहित समूह के माध्यम से संपादित करवायें जावें।

जिले में वृक्षारोपण हेतु लगने वाले पौधों का आंकलन कर नर्सरी तैयार करने का कार्य भी समहित समूहो के माध्यम से करवाया जावें, तथा इस कार्य हेतु पौधों की लागत का 50 प्रतिशत अग्रिम समूहों को नर्सरी निर्माण एवं विकास की लागत के तौर पर उपलब्ध कराया जावें।

जिला कलेक्टर ऐसे अन्य कार्यो को चिन्हांकित करें जिनका क्रियान्वयन डीपीआईपी ग्रामों में समहित समूहों के माध्यम से किया जा सकता है। इन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर समहित समूहों के माध्यम से संपादित करवाया जावें।

(प्रदीप भार्गव) 27.3.06

MP-DPIP\3.Main-Phase\3.6.Monitor-Learning\3.6.10.Misc\L_PS_NRRGS.doc

(373)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल

क्र. 5396/22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 7/4/2006

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जिला पंचायत – झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिन्डौरी,
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन के संदर्भ में ।

उक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न विषयों पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं । निम्न विंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जानकारी तत्काल प्रेषित करें :–

1. महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा तैयार किये गये प्रशिक्षण शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जावे तथा जिले में किये गये प्रशिक्षणों की जानकारी उपायुक्त के माध्यम से साप्ताहिक प्रतिवेदन के साथ प्रेषित करें ।
2. एम.आई.एस. के संदर्भ में निर्देशित किया गया है कि एम.आई.एस. में जानकारी प्रेषित करने हेतु बाहरी एजेंसी अथवा विभागीय तौर पर कराये जाने का निर्णय जिला स्तर पर लिया जाकर कार्यवाही की जावे ।जिला स्तर पर इस विषय पर लिये गये निर्णय से अवगत करावें ।
3. ग्राम पंचायत स्तर एवं जनपद पंचायत स्तर पर अभिलेखों के संधारण के संबंध में प्रगति से अवगत करायें ।
4. पत्र कमांक 4785 दिनांक 28/3/06 से निर्देशित किया गया था कि लेवर बजट एवं योजना के कियान्वयन पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जावे जो अभी तक अप्राप्त है । कृपया तत्काल प्रेषित करें ।
5. योजना के कियान्वयन के लिए 30 सितम्बर 2006 तक कितनी राशि की आवश्यकता होगी यह जानकारी तत्काल प्रेषित करें।
6. वर्षा के दौरान कार्यो के कियान्वयन के लिए वृक्षारोपण तथा वन रोपण के बारे में की गई कार्यवाही से अवगत करायें ।

(प्रदीप भार्गव) 7.4.06
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग